

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टैंक (राजस्थान)

कमांक :- ५४३

दिनांक :- 12/03/2026

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टैंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 397 दिनांक 25.02.2026 में संशोधन कर माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टैंक द्वारा आदेश कमांक 1973 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा के पीठासीन अधिकारी की इयूटी दिनांक 14.03.2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैच में लगाये जाने के कारण टैंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इयूटी करेंगे। साथ ही प्रोटोकॉल के लिए सारणी संख्या 2 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे। माह मार्च-2026 की ^{गोष्ट} दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इयूटी

क. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टैंक	यतिन खटाना	8860702787	14.03.26
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	अनुभा सिंह	8529211353	29.03.26

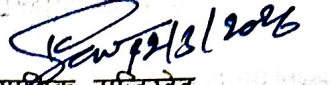
सारणी संख्या :- 2 प्रोटोकॉल इयूटी

क. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, टैंक	गजपाल सिंह	9409365248	14.03.26

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहें। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखें।

नोट :- उक्त राजकीय अवकाशों के अतिरिक्त आगामी दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त राजकीय अवकाशों हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टैंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत ह्यूरी दिवस् पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

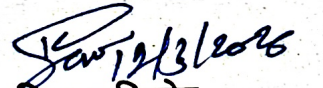

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

कमांक :- ५४५-५९५

दिनांक :- 12/03/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 टोंक।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट. मालपुरा
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)